


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 28/2024 श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम मनीष देवासी व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामिलमें जारी
19.03.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही अनुपस्थित। प्रतिवादी मनीष देवासी पुत्र मेघाराम जी, जाति- देवासी, निवासी- रेबारीवास, माण्डवा, तहसील व जिला- सिरौही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म सारणेश्वर किराणा स्टोर, मैन रोड़, माण्डवा, सिरौही, तहसील व जिला- सिरौही के अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 (फर्म अर्बुदा ट्रेडर्स, सरजावा दरवाजे के बाहर, बस स्टेण्ड रोड़, सिरौही जरिये प्रोपराईटर कान्तिलाल माली पुत्र राजाराम जी, जाति-माली, निवासी- हनुमान मन्दिर के पास, पाडीव, तहसील व जिला- सिरौही) अनुपस्थित।</p> <p>आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी मनीष देवासी पुत्र मेघाराम जी, जाति- देवासी, निवासी- रेबारीवास, माण्डवा, तहसील व जिला- सिरौही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म सारणेश्वर किराणा स्टोर, मैन रोड़, माण्डवा, सिरौही के विरुद्ध श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 22.2.2023 को फर्म सारणेश्वर किराणा स्टोर, मैन रोड़, माण्डवा, तहसील व जिला- सिरौही में प्रतिवादी विक्रेता मनीष देवासी पुत्र मेघाराम जी, जाति- देवासी, निवासी- रेबारीवास, माण्डवा से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ पान मसाला (जाफरी ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1965 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./366/Act/2023/408 दिनांक 09.3.2023 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी मनीष देवासी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री चेतन रावल उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी मनीष देवासी के अधिवक्ता ने यह अनुरोध किया कि प्रतिवादी मनीष देवासी की फर्म सारणेश्वर किराणा स्टोर, माण्डवा द्वारा पान मसाला (जाफरी ब्राण्ड) को फर्म अर्बुदा ट्रेडर्स, सरजावा दरवाजे के बाहर, बस स्टेण्ड रोड़, सिरौही से जरिये बिल इनवोईस नम्बर 1424 दिनांक 10.2.2023 से पैकड अवस्था में क्रय किया था व पैकड अवस्था में ही विक्रय किया था, इसलिये इस प्रकरण में फर्म अर्बुदा ट्रेडर्स, सरजावा दरवाजे के बाहर, बस स्टेण्ड रोड़, सिरौही को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है, लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी को बिल प्रस्तुत किये जाने के बाद भी उक्त फर्म अर्बुदा ट्रेडर्स को पक्षकार बनाये बिना ही यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया है, इसलिये प्रकरण में उक्त फर्म अर्बुदा ट्रेडर्स को पक्षकार बनाया जावे।</p> <p>प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार प्रतिवादी मनीष देवासी की फर्म सारणेश्वर किराणा स्टोर, माण्डवा द्वारा पान मसाला</p> <p style="text-align: right;">.....लगातार</p>	

  
 अति. विला यजिस्त्र  
 सिरौही-307001.



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case-No. 28/2024 श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम मनीष देवासी व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की जलमें जारी
	<p>(ब्राण्ड-जाफरी) को फर्म अर्बुदा ट्रेडर्स, सरजावा दरवाजे के बाहर, बस स्टेण्ड रोड़, सिरौही से जरिये बिल इनवोईस नम्बर 1424 दिनांक 10.2.2023 से क्रय किया था। अतः इस न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 09.12.2024 को इस प्रकरण में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 78 के तहत फर्म अर्बुदा ट्रेडर्स, सरजावा दरवाजे के बाहर, बस स्टेण्ड रोड़, सिरौही जरिये प्रोपराईटर को पक्षकार (प्रतिवादी संख्या-2) बनाया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन करने व धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध करने के संबंध में नोटिस जारी किया जाकर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या 2 (दो) फर्म अर्बुदा ट्रेडर्स, सरजावा दरवाजे के बाहर, बस स्टेण्ड रोड़, सिरौही के प्रोपराईटर कान्तिलाल माली पुत्र राजाराम जी, जाति-माली, निवासी-हनुमान मन्दिर के पास, पाडीव, तहसील व जिला- सिरौही इस न्यायालय में उपस्थित हुये, जिन्होंने इस प्रकरण में दिनांक 12.3.2025 को जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण के निस्तारण करने का अनुरोध किया। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 12.3.2025 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नहीं हुये। प्रतिवादी मनीष देवासी के अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या-2 (अर्बुदा ट्रेडर्स, सरजावा दरवाजे के बाहर, बस स्टेण्ड रोड़, सिरौही के प्रोपराईटर कान्तिलाल माली) की दिनांक 12.3.2025 को ही बहस सुनी गई। प्रतिवादी मनीष देवासी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी मनीष देवासी ने न तो कोई जाफरी ब्राण्ड के कट्टे रखे थे और न ही कोई कारोबार करता है व न ही दुकान चलाता है, बल्कि मनीष का भाई जरूर दुकान चलाता है तथा अपने परिवार का पालन पोषण करता है। दिनांक 22.2.2023 को प्रतिवादी मनीष देवासी दुकान में उपस्थित नहीं होकर बहन के घर सिरौही में था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान जांच हेतु पान मसाला (जाफरी ब्राण्ड) के 20 पैकेट में 32 पाउच लेने और गवाहों के हस्ताक्षर कवाये जाने एवं नमूना लेने की कार्यवाही की जानकारी प्रतिवादी मनीष को नहीं है एवं न ही प्रतिवादी मनीष देवासी की उपस्थिति में ऐसी कोई कार्यवाही की गई है। किसी भी नमूना भागों पर या अन्य किसी फर्द पर न तो बतौर खाद्य कारोबारकर्ता या मालिक के रूप में प्रतिवादी के हस्ताक्षर है एवं न ही उक्त फर्दों पर स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर है तथा न ही बतौर खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से नमूने के किसी भी भाग की जांच कराने की जानकारी दी एवं न ही इस प्रकार की जांच रेफरल लेब से कराने की जानकारी दी एवं न ही इस प्रकार की जांच कराने से प्रतिवादी ने मना किया है एवं न ही प्रतिवादी मनीष देवासी को कोई फर्द पढकर सुनवाई एवं हस्ताक्षर किये हो। जांच रिपोर्ट की प्रति भी प्रतिवादी को नहीं भेजी गई है। यह कि प्रतिवादी मनीष देवासी के भाई द्वारा पान मसाला जाफरी ब्राण्ड को अर्बुदा ट्रेडर्स से पैकड अवस्था में क्रय किया था और तथाकथित सेम्पल भी पान मसाला जाफरी ब्राण्ड का पैकड अवस्था में लिया था, इसलिये प्रतिवादी मनीष देवासी को इस प्रकरण से मुक्त किया जावे। जबकि प्रतिवादी अर्बुदा ट्रेडर्स के</p> <p style="text-align: right;">.....लगातार</p>	

मात. जिला बक्सर  
सिरौही-307001.



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 28/2024 श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम मनीष देवासी व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामिलमें जारी
------------	--	---

प्रोपराईटर कान्तिलाल माली ने अनुरोध किया कि उसने पान मसाला जाफरी ब्राण्ड के पैकड पाउच खरीद कर सारणेश्वर किराणा स्टोर, माण्डवाडा को पैकड अवस्था में विक्रय किये थे जिसमें उसने कोई मिलावट नहीं की है व न ही लेबल से छेड़छाड़ की है। वह पान मसाला जाफरी ब्राण्ड का निर्माता नहीं है। यह उसका प्रथम अपराध है, इसलिये इस प्रकरण से उसे मुक्त किया जावे।

प्रकरण में बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही, खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु दिनांक 22.2.2023 को समय 2.00 पी.एम. पर फर्म साणेश्वर किराणा स्टोर, मैन रोड, माण्डवा, तहसील व जिला- सिरौही पर गये। फर्म सारणेश्वर किराणा स्टोर, मैन रोड, माण्डवा में खाद्य कारोबारकर्ता व प्रोपराईटर की हैसियत से प्रतिवादी मनीष देवासी पुत्र मेघाराम जी, जाति- देवासी, निवासी- रेबारीवास, माण्डवा उपस्थित मिलें। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म सारणेश्वर किराणा स्टोर की दुकान के निरीक्षण में आम जन के विक्रय हेतु दो कट्टों में खाद्य पदार्थ पान मसाला (जाफरी ब्राण्ड) रखे हुए मिले। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जन को विक्रय हेतु उपयोग में लिये जाने वाले खाद्य पदार्थ पान मसाला (जाफरी ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता मनीष देवासी पुत्र मेघाराम जी को गवाह श्री श्रवणसिंह, वाहन चालक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म सारणेश्वर किराणा स्टोर की दुकान के अन्दर रखे हुए खाद्य पदार्थ पान मसाला (जाफरी ब्राण्ड) के दो कट्टों में से 20 पैकड पैकेट (प्रत्येक में 32 पाउच) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत राशि रुपये 2560/- (अक्षरे रुपये दो हजार पांच सौ साठ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता मनीष देवासी को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही) के कोड एवं क्रमांक S-1965, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ पान मसाला (जाफरी ब्राण्ड), बैच नम्बर आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता मनीष देवासी व गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ पान मसाला (जाफरी ब्राण्ड) के पैकेटों के चार भाग करके चारों नमूना पैकेटों/भागों पर उक्त तैयार किये गये लेबल में से एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं एवं क्रम संख्या S-1965 उपर से

.....लगातार


प्रति. जिला अधिकारी  
सिरौही-307061.



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 28/2024 श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम मनीष देवासी व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की शामिलमें जारी
	<p>प्रोपराईटर कान्तिलाल माली ने अनुरोध किया कि उसने पान मसाला जाफरी ब्राण्ड के पैकड पाउच खरीद कर सारणेश्वर किराणा स्टोर, माण्डवाडा को पैकड अवस्था में विक्रय किये थे जिसमें उसने कोई मिलावट नहीं की है व न ही लेबल से छेड़छाड़ की है। वह पान मसाला जाफरी ब्राण्ड का निर्माता नहीं है। यह उसका प्रथम अपराध है, इसलिये इस प्रकरण से उसे मुक्त किया जावे।</p> <p>प्रकरण में बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु दिनांक 22.2.2023 को समय 2.00 पी.एम. पर फर्म साणेश्वर किराणा स्टोर, मैन रोड, माण्डवा, तहसील व जिला- सिरोही पर गये। फर्म सारणेश्वर किराणा स्टोर, मैन रोड, माण्डवा में खाद्य कारोबारकर्ता व प्रोपराईटर की हैसियत से प्रतिवादी मनीष देवासी पुत्र मेघाराम जी, जाति- देवासी, निवासी- रेबारीवास, माण्डवा उपस्थित मिलें। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म साणेश्वर किराणा स्टोर की दुकान के निरीक्षण में आम जन के विक्रय हेतु दो कट्टों में खाद्य पदार्थ पान मसाला (जाफरी ब्राण्ड) रखे हुए मिले। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जन को विक्रय हेतु उपयोग में लिये जाने वाले खाद्य पदार्थ पान मसाला (जाफरी ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता मनीष देवासी पुत्र मेघाराम जी को गवाह श्री श्रवणसिंह, वाहन चालक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म साणेश्वर किराणा स्टोर की दुकान के अन्दर रखे हुए खाद्य पदार्थ पान मसाला (जाफरी ब्राण्ड) के दो कट्टों में से 20 पैकड पैकेट (प्रत्येक में 32 पाउच) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत राशि रुपये 2560/- (अक्षरे रुपये दो हजार पांच सौ साठ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता मनीष देवासी को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1965, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ पान मसाला (जाफरी ब्राण्ड), बैच नम्बर आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता मनीष देवासी व गवाह के हस्ताक्षर करायें एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ पान मसाला (जाफरी ब्राण्ड) के पैकेटों के चार भाग करके चारों नमूना पैकेटों/भागों पर उक्त तैयार किये गये लेबल में से एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं एवं क्रम संख्या S-1965 उपर से</p>	<p>.....लगातार</p>

पति. पिला बबिस्ट्रे  
सिरोही-307001.



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 28/2024 श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम मनीष देवासी व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामिलमें जाती
	<p>मसाला (जाफरी ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।</p> <p><b>आदेश</b></p> <p>अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा- 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ पान मसाला (जाफरी ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी मनीष देवासी पुत्र मेघाराम जी, जाति- देवासी, निवासी- रेबारीवास, माण्डवा, तहसील व जिला- सिरौही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म सारणेश्वर किराणा स्टोर, मैन रोड, माण्डवा, तहसील व जिला- सिरौही पर राशि रुपये 5,000/- (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है एवं प्रतिवादी कान्तिलाल माली पुत्र राजाराम जी, जाति-माली, निवासी- हनुमान मन्दिर के पास, पाडीव, तहसील व जिला- सिरौही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म अर्बुदा ट्रेडर्स, सरजावा दरवाजे के बाहर, बस स्टेण्ड रोड, सिरौही पर राशि रुपये 10,000/- (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी मनीष देवासी तथा फर्म अर्बुदा ट्रेडर्स के प्रोपराईटर कान्तिलाल माली को आदेशित किया जाता है कि उन पर अधिरोपित उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरौही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीगण को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 22.4.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">             (डॉ. दिनेश शय सापेला)            अति० जिला मजिस्ट्रेट            सिरौही-307001.         </p>	

